फर्द अहकाम

देवीलाल व अन्य बनाम लालचन्द व अन्य

ख्या: 112 / 2022

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
024	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम कैश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना तह0 सांगानेर का सीमाज्ञान करवाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा सीमाचिन्ह कायम किये जावे। बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादिया की वाके ग्राम कैश्यावाला पटवार हल्का मुहाना भू0अ0नि0क्षे0 मुहाना तह0 सांगानेर के भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 0.44 हैक्टेयर की सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाचिन्ह होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की भूमि की सीमा में दखल नही देवे। निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.04.02 12:53:48 IST Reason: SelfAttested	